न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 196/2016

दिनेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 21.01.2016

उपस्थितिः—

श्री जसवीर सिंह बराड अभिभाषक अपीलांट

श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 01.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष प्रा.पत्र पेश कर चक 2 जी.बी.एम. के मु.नं. 3 के प.नं. 14/45 के कि.नं. 10/1, 11, 12/2, 16/1, 18/1, 19/2, 20, 21/1, 22/2, 23/1, 24/2, 25/1 की 2.177है0 अ.क. एवं मु.नं. 5 प.नं. 14/54 के कि.नं. 1/1, 9/2, 10, 11, 12, 18/2, 19, 20, 23/1 की 1.670है0 भूमि मीडियम पेच के रूप में आवंटन करने हेतु पेश किया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने तहसीलदार सूरतगढ से रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर

1/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सार्वजनिक सूचना जारी करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 21.01.2016 को प्रार्थी को चक 2 जीबीएम के प.नं. 14/45 के कि.नं. 10/1, 11, 12/2, 16/1, 18/1, 19/2, 20, 21/1, 22/2, 23/1, 24/2, 25/1 की कुल 2.177 है0 अ.क. आराजी स्मालपेच में आवंटित की। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध पारित होने से खारिज योग्य है। अधी. न्यायालय ने स्मालपेच श्रेणी के रकबे को आवंटन करने से पूर्व चिपते काश्तकारों की अनदेखी करते हुए आवंटन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी इस हेतु धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। रेस्पों ने धारा 5 मियाद का जबाव पेश कर अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। रेस्पों. ने उक्त प्रा.पत्र का खण्डन प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र

1/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश कर किया है। न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 21.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें रेस्पों. मनीराम पुत्र जेठाराम स्मालपेच में भूमि आंवटित की गई है जिसमें अपीलांट भी Adjoining काश्तकार होने से वह आवंटन का पात्र था जो आवंटन नहीं करने से अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. मनीराम के स्मालपेच प्रकरण मे पटवारी हल्का बीरमाना की रिपोर्ट जो तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है में विवादित आवंटित कृषि भूमि के Adjoining काश्तकारों में अपीलांट का नाम चिपते हुए काश्तकारों द्वारा धारित भूमि मे नहीं है। अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 14 हल्का बिरमाना द्वारा हस्ताक्षरित व तहसीलदार सूरतगढ द्वारा Counter signed है में विवादित आवंटित भूमि के Adjoining खातेदार दर्शाए है उनमें डूंगरराम , कृष्णलाल व मनीराम चिपते काश्तकार दर्शाए है। अतः अपीलांट का प्रथम दृष्टया Locus- Standai नहीं बनती है, साथ अपील मीमों के बिन्दु सं. 3(छ) में सार्वजनिक सूचना जारी नहीं करना दर्शाया है जबकि अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 20 पर सम्बन्धित के नाम सार्वजनिक सूचना जारी होना प्रमाणित है। जहां तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है वह मनीराम के आवंटन में विवेचित है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर